फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
भीयाराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न.194 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	पत्रावली वकील रेस्पो. संख्या एक से तीन श्री देवीसिंह द्वारा दिनांक 09.10.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई पर आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल, रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता श्री देवीसिंह एवं रेस्पो. संख्या चार की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से बिना विचारण न्यायालय की पत्रावली के अपील पर अंतिम बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का सहखातेदार है तथा सहखातेदार को अपने हक–हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है तथा बिना बंटवाड़ा के सहखातेदार के बैचान, हस्तांतरण करने का कोई हक–अधिकार नहीं है। मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की आड़ में इशरा के फौतेदगी म्यूटेशन भरे जाने के पश्चात नामांतरकरण संख्या 3760, 3762 के जरिये वादग्रस्त आराजी को बेचान कर दिया गया है तथा अजनबी क्रेताओं के नाम दर्ज कर दिये गये है, जिससे मौके पर विवाद बढने की व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन होने एवं आगे बेचान होने की संभावना है। जिस कारण अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय में खरीददार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु पेश नहीं किया गया है। इसलिए तृतीय पक्षकार के संबंध में छूट हेतु आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा फौतेदगी नामांतरकरण स्वीकृत करवाने के पश्चात वादग्रस्त आराजी का आगे बेचान कर दिया गया। मौके पर अजनबी क्रेता द्वारा दिनांक 19.08.2024 को जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने तथा धमकी दिये जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 20.08.2024 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 3/2024 अनवान भीयाराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं आदेश दिनांक 30.01.2024 को बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधानयम का प्राथना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलाधीन आदेश अपनी सहमति से पारित करवाया है तथा मामले को लंबा खीचने के लिए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दो माह में निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे एवं मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2076–2079 ग्राम आऊ तहसील आऊ के खाता संख्या 33 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 26 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 459 रकबा 13.7998 हैक्टेयर अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 3/2024 अनवान भीयाराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अदालत हाजा के आदेश प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम का प्रार्थना ... काश्तकारी